न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 16/18 **सन् 2018**

जीसीएमएस संख्या 2018/00014

बउनवानीः—भूमि विकास बैंक शाखा बौंली जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. शंकर पुत्र नहनू रेगर निवासी बपूई ,तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर
2. ग्यारस्या पुत्र रामदेवा रेगर निवासी बपूई तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष मे अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :—श्री अमित बंसल वकील प्रार्थी

—: निर्णय :— **दिनांक 06.01.2022**

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर के जरियें **भूमि विकास बैंक शाखा बौंली के खाता संख्या 46** पर अप्रार्थी द्वारा बैंक का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नही करने तथा अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही मे बेची नही जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी करने बाबत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस मे जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ ओर ना ही बैंक की बकाया राशि जमा करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर सुनी गयी ।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 154220/—रू ब्याज 115326/—रू द0ब्याज 6941/—रू कुल राशि 276487/—रू एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 236710/—रू जिसमे से अवधि पार बकाया असल 236710/—रू ब्याज 215323/—रू द0 ब्याज 33478/—एवं वसूली व्यय 14565/—रू तथा बीमा राशि 0/—रू सहित कुल राशि 500076/— रू की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नही की गयी है उक्त डिग्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम बपूई हल्का पटवारी बपूई तहसील बौंली की आराजी ख0न0 337 रकबा 0.81[illegible] है0 ख0न0 883 रकबा 0.3800है0, ख0न0 884 रकबा 1.1400 है0, ख0न0 1453 रकबा 0.1600 है0, [illegible]4 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 1474 रकबा 0.2500 है0, ख0न0 1475 [illegible] रकबा 0.8100है0 ख0न0 3093 रकबा 0.4900 है0 ख0न0 32[illegible] 10 कुल रकबा 4.4200 है0 जमाबन्दी मे हिस्सानुसार को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वा[illegible]र क्रमशः दिनांक 10.7.2015, 17.7.2015, 20.2.2017 को जरिये [illegible]लामी की गयी किन्तु [illegible] कार्यवाही के दौरान केताओ के अभाव में उक्त सम्पति बेची नही जा सकी है। विक्रय अधिकारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:07:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29.6.2016 के निर्णय का उप रजिस्टार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नही जा सकी है का बैंक के पक्ष मे अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा बौंली के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा बौंली की बकाया ऋण राशि रू 500076/–रू जमा नही करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पति (ग्राम बपूई हल्का पटवारी बपूई तहसील बौंली की आराजी ख0न0 337 रकबा 0.81.00 है0, ख0न0 883 रकबा 0.3800है0, ख0न0 884 रकबा 1.1400 है0, ख0न0 1453 रकबा 0.1600 है0, ख0न0 1454 रकबा 0. 1800 है0, ख0न0 1474 रकबा 0.2500 है0, ख0न0 1475 रकबा 0.0900 है0, ख0न0 3079 रकबा 0.8100 है0 ख0न0 3093 रकबा 0.4900 है0 ख0न0 3285 रकबा 0.110 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 4.4200 है0 को जरिये निलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पति बेची नही जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस मे जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामील विधिवत रूप से व्यक्तिगत करवायी जाने पर भी अप्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ ओर ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नही करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय मे पेश किया है। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 मे अप्रार्थी शंकर पुत्र नहनू के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडौदा एवं भूमि विकास बैंक शाखा बौंली के नाम रहन दर्ज है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी शंकर की भूमि को केवल सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बौंली के नाम अन्तरित किया जाना उचित नही है। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ग्यारस्या की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय के प्ररिप्रेक्ष्य में सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्ति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत बैंक के रहन की गयी अप्रार्थी ग्यारस्या के हिस्से की उक्त कृषि भूमि को भूमि विकास बैंक शाखा बौंली के पक्ष मे अन्तरित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:07:27 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिलाकलेक्टर
सवाई माधोपुर